—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-23.03.2021

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर 04 अभियुक्तों को थाना चील्ह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक-23.03.2020 समय 13.10 बजे प्र0नि0 राघवेन्द्र सिंह मय हमराह का0 तौहिद खां व का0 चन्दन सिंह द्वारा मुखबिरी सूचना पर अपर जिलाधिकारी के जिला बदर के पश्चात भी जिला बदर आदेश का उलंघन करते हुए जनपद सीमा व घर के आस - पास रह रहे थे 04 जिलाबदर अभियुक्त 1-अरविन्द उर्फ कुचई पुत्र मनका, 2- सुभाष पुत्र मखई, 3- शिवकुमार पुत्र मंगरू, 4-सुरेश पुत्र कन्हैया निवासीगण चन्देल डड़िया थाना चील्ह मीरजापुर को उनके घर से गिरफ्तार कर, उक्त के संबंध में थाना चील्ह पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। उक्त गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्तगण को अपर जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेश से दिनांक 03.03.2021 से मीरजापुर की सीमा से 03 माह के लिए जिलाबदर किया गया था।